दिनांक 24-11-2017

निर्णय

वादी द्वारा विरूद्ध प्रतिवादीगण दावा बाबत हक खातेदारी घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा हेतु पेश किया गया, जिसके संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार से है, कि सरहद मौजा पादरली तहसील आहोर में साबिक खसरा नम्बर 167 रकबा 54 बीघा 5 बिस्वा, ख० नं० 150 रकबा 50 बीघा 7 बिस्वा, खसरा नम्बर 168 रकबा 2 बिस्वा खसरा नम्बर 169 रकबा 12 बिस्वा, खसरा नम्बर 170 रकबा 5 बीघा 3 बिस्वा कुल रकबा 150 बीघा 10 बिस्वा के पूर्व खातेदार निम्नानुसार है।

(1) अचलिया, परखिया, होथिया, नेमीया पि० वागा का 1/5 हिस्सा
(2) आकिया, कूपा, किस्तूरा पिसरान जेठा का 1/5 हिस्सा
(3) भूरा, लाला, सगिया, प्रहलादा पिसरान निम्बा का 1/5 हिस्सा
(5) सदिया पुत्र टीला का 1/5 हिस्सा कौम मीणा सा० देह खातेदार दर्ज है।

इसी प्रकार सम्पूर्ण आराजी पुराने राजस्व रेकर्ड में पांच भागो में बंटी हुई है। जिसमें वादी अकेले का 1/10 हिस्सा व प्रतिवादी सं० 20 व 21 के साथ-साथ समान हक हिस्से में वादी का 1/10 हिस्सा राजस्व अभिलेख में दर्ज है। वादी को 1/10 हिस्सा पूर्व पुरूष खुमा की पुत्री से प्राप्त हुआ था एवं शेष प्रतिवादीगण की खातेदारी 1/5-1/5 के हिस्से के अनुसार पूर्वजो की दर्ज रही है। साबिक खसरा नम्बर के नवीन खसरा नम्बर 256 रकबा 0.05 हे० ख० नं० 257 रकबा 0.05 हेक्ट० ख० नं० 258 रकबा 0.30 हे० ख० नं० 259 रकबा 23.17 हे० कुल रकबा 23.57 हेक्टर कायम हुए है। भू-प्रबंध सेटलमेन्ट के दौरान हम सभी पक्षकारान के पूर्वजो के नाम खातेदारी 1/5-1/5 हिस्सा दर्ज रही है, जिसकी वृक्षावली निम्न प्रकार है,

वागा – 1/5 हिस्सा

- अचलिया (फौत)
  - बगदा
  - दुदीया
- परखिया (फौत)
  - पीरीया
- होथिया (फौत)
  - नेमीया
  - हेमला
- नेमा फौत
  - पीरीया
  - खेता
  - मादीया
  - जवारा

जेठा – 1/5 हिस्सा

- आकिया
  - रानीया
  - खेता
  - सांकलिया
- कूपीया
  - जोरा
- किस्तुरा
  - किस्तुरा का हिस्सा भाईयों में समायोजन

सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.)
आहोर जिला-जालोर

सम्मन तामील नहीं होने पर वादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र
पर सम्मन का प्रकाशन दैनिक समाचार पत्र में प्रकाशित करवाने
का आदेश जारी करने पर वादी पक्ष द्वारा सम्मन का
प्रकाशन स्वयं के खर्चे पर दैनिक समाचार पत्र राष्ट्रदूत
में दिनांक 4-4-2017 में करवाया गया। इसके बावजूद
भी प्रतिवादीगण उपस्थित नहीं होने पर इनके विरूद्ध दिनांक
18-4-17 को एक पक्षीय कार्यवाही की गयी। वादी द्वारा
में गवाह श्री रामा पुत्र देवाजी P.W.1 श्री मगाराम पुत्र आशाजी
P.W.2 के साक्ष्य शपथ-पत्र पेश होने पर दिनांक 16-10-17
को बयान कलमबंद किये जाकर शामिल मिसल किये गये।
साथ ही दस्तावेजी साक्ष्य में नकल खतौनी बन्दोबस्त गांव
पादरली के खाता सं. 64 संवत 2011 से 2020, नकल नक्शा
ट्रेस वादग्रस्त आराजी, नकल जमाबंदी संवत 2064 से 2067
वादग्रस्त आराजी खाता सं. 270, दावा सं. 49/12 निर्णय
दिनांक 4-12-14 की प्रति राजस्व वाद सं. 26/07 निर्णय
दिनांक 20-1-08 की प्रति व छाया प्रतियां पेश की। दस्तावेज
Exp 1 से Exp 5 प्रदर्शित करवाये हैं।

बहस सुनी गई। वकील वादी द्वारा वाद पत्र
में वर्णित तथ्यों को विस्तृत रूप से दोहराते हुए कथन
किया है, कि प्रतिवादीगण सम्मन तामील के बावजूद भी गैर
हाजिर रहे हैं, इससे यह स्पष्ट हो चुका है, कि प्रतिवादीगण
वादी के वाद पत्र को स्वीकार कर रहे हैं। वादी द्वारा
वाद पत्र के समर्थन में मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य पेश
कर वाद पत्र में चाहे गये अनुतोष को साबित किया है।
जिसके आधार पर दावा वादी डिक्री किया जाने योग्य है।
दावा डिक्री फरमावे। प्रतिवादी तहसीलदार आहोर द्वारा
कथन किया गया है, कि पक्षकारान के मध्य विवादित आराजी
को लेकर विवाद है। प्रतिवादी खातेदारान की ओर से इस
वाद पत्र पर कोई उज्र आपत्ति पेश नहीं की गयी है।
राजस्व अभिलेख के अनुसार विवादित आराजी दुरूस्त की
जाती है, तो प्रतिवादी सं. 22 को कोई एतराज नहीं है।

उपखण्ड अधिकारी, आहोर (जिला जालोर)

सहायक कलेक्टर (एस.डी.ओ.)
आहोर (जिला-जालोर)

हमने सम्पूर्ण पत्रावली का भलीभांति अध्ययन किया एवं बहस के बिन्दुओं पर मनन भी किया। जिसके अनुसार वादीगण छोगा पुत्र सादिया कौम द्वारा प्रतिवादी गण के विरुद्ध दावा बाबत हक खातेदारी घोषणा व बेदखली व स्थाई निषेधाज्ञा का पेश करने पर मूल राजस्व वाद सं. 26/2007 दिनांक 30-5-08 को निर्णीत हुआ। जिसके विरुद्ध मा० राजस्व अपील अधिकारी पाली कैम्प जालोर के न्यायालय में अपील पेश होने पर अपील सं. 32/2010 रामा बनाम छोगा में दिनांक 14-3-11 को निर्णय पारित हुआ है, कि अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर निर्णय एवं डिक्री सहायक कलेक्टर आहोर दिनांक 30-5-08 वाद संख्या 26/2007 को निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण पुनः सुनवाई एवं जवाब, साक्ष्य आदि प्रस्तुत करने का अपीलांट को मौका दिया जाकर विधिवत निर्णय पारित करने हेतु सहायक कलेक्टर आहोर को रिमांड किया जाता है। रिमांड प्रकरण संख्या 49/12 में सुनवाई के दौरान वादीगण व वकील वादीगण और हाजिर रहने पर प्रतिवादी रामाराम द्वारा प्रार्थना-पत्र पेश कर कथन किया गया, कि इस पुरे प्रकरण में प्रभावित पक्षकार मैं प्रार्थी हूं। इसलिए दावा उक्त हाजरी/पैरवी में खारिज नहीं कर मुझ प्रार्थी को सभी पक्षकारों के विरुद्ध नया वाद लाने की अनुमति दिलवाने का कष्ट करावें। उक्त विधि पर प्रार्थना-पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थी रामाराम को नया वाद लाने की अनुमति देने पर वादी रामा पुत्र देवा कौम भील निवासी पादरली द्वारा दावा बाबत हक खातेदारी घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा का दिनांक 19-5-15 को पेश किया गया है। इस प्रकार राजस्व वाद सं 26/07 दिनांक 30-5-08 को म०० राजस्व अपील अधिकारी पाली द्वारा दिनांक 14-3-11 को निरस्त किया जा चुका है। जिससे राजस्व अभिलेख की स्थिति पूर्ववत बहाल की जाती है। EXP-3

सहायक कलेक्टर (एस.डी.ओ.)
आहोर (जिला-जालोर)

मैं दर्ज नामान्तकरण नं 539 दिनांक 19-12-08 के दर्ज की स्थिति बहाल होने पर वादी द्वारा यह वाद खातेदारी हक घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा का पेश किया है। Ex P-1 नकल खतौनी बन्दोबस्त गांव पाडरली संवत् 2011 से 2020 तक में खातेदार " अचलिया, परखिया, बालिया, नेमीया पि० बगा हिस्सा 1/5 अकिया, कूपा, किस्तूरा पि० जेता हिस्सा 1/5 धूबा, लाला सजिया, प्रहलादा पि० निम्बा 1/5 देवीया, रूपा पि० मोती हि० 1/5 सडिया वल्द टीला 1/5 कायम मौरूसी दर्ज है। इसी माफिक वादी द्वारा वाद पत्र में वंश वृक्षावली को दर्शाया गया है। लेकिन माफिक वृक्षावली खातेदारों के हिस्से का इन्द्राज नहीं है। जबकि बगा का वारीसान 1/5 जेता के वारीसान 1/5 निम्बा के वारीसान 1/5 सडिया के वारीसान 1/5 मोती के वारीस 1/5 के हकदार खातेदार बनते हैं। अतः इसी हक हिस्से अनुसार पक्षकारान खातेदारी हक प्राप्त करने के अधिकारी होने से दावा वादी स्वीकार किये जाने योग्य है।

अतः दावा वादी स्वीकार किया जाकर अराजी मौजा पाडरली तहसील आहोर के वर्तमान खसरा नम्बर 256, 257, 258, 259 कुल रकबा 23.57 हैक्टर में दर्ज खातेदारों को निम्नानुसार हिस्सेदार खातेदार घोषित किया जाता है।—

1. बगदा, कुदीया पि० अचला 1/20 पुरीया पि० परबा 1/20 खेता, फौरीया, मादीया, जवारा पि० नेमा 1/20 नेकीया, हेमला पि० होलीया 1/20 = 1/5 हिस्सा
2. राणीया, खेता, लोकलिया पि० अखा, जोरा पि० कूपा, भडिया पिसरान भेरा 1/5 हिस्सा
3. बाबरिया, रूपा पि० धूबा लाला पिसरान निम्बा, शंकरीया पिसरान प्रहलादा 1/5 हिस्सा
4. छोगा, हिमता पि० सडीया 1/5 हिस्सा
5. मसरीया, रामा पि० देवा कपूरा पि० हीरा 1/10 रामा पि० देवा 1/10 = 1/5 हिस्सा

उपरोक्तानुसार तहसीलदार आहोर राजस्व रेकर्ड में इन्द्राज करे।

[signature]

सहायक कलेक्टर (एस.डी.ओ.)
आहोर (जिला-जालोर)

साथ ही स्थाई निषेधाज्ञा इस आशय की जारी की जाती है, कि सभी खातेदारान एक-दूसरे के हक हिस्सा आराजी में किसी प्रकार से दखलंदाजी कर व्यवधान उत्पन्न नहीं करे और न ही अन्य किसी से करावे। डिक्री पर्चा मुरतिब हो। पत्रावली बाद तामील तकमील के फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय सरे इजलास पढ़कर सुनाया गया।

[मनमोहन व्यास] R.A.S.
सहायक कलेक्टर (एस.डी.ओ.)
आहोर (जिला–जालोर)